

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज

अहकाम जा इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

03.02.2020

आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थी पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक जयें एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 17.04.2020 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नम्बर 1261 रकबा 0.01, 1162 रकबा 0.96 हैक्ट0 वाके ग्राम ललावण्डी तहसील रामगढ़ जिला अलवर प्रार्थीगण के हिस्से तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। बशर्ते प्रार्थीगण रजिस्टर्ड ए0डी0 से दिनांक 17.04.2020 तक अप्रार्थीगण की तलबी करवाकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। पत्रावली दिनांक 17.04.2020 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

14.2.20

आज प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली ललब की गई। मूलवाद Not Press में खारिज करवा लिया गया। प्रार्थना पत्र भी खारिज कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र 212 RTA भी Not Press में खारिज किया जाना है। पत्रावली केसल सुमाए एक दायिल देकर हो।

Not Press
Jogul Singh
डीप्टी क्लर्क
24
14.2.20

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)